

26-2-21 उपर्युक्त परिचित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 26-3-21 को पेश हो।
रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

26-3-21 उपर्युक्त परिचित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 30-4-21 को पेश हो।
रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

30-4-21 पत्रावली अतिरिक्त अभिभाषण द्वारा न्यायिक अधिकार रखने से पत्रावली दिनांक 18-5-21 को पेश हो।

18-5-21 उपर्युक्त पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29-6-21 को पेश हो।
रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29-6-21 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित/अधिकार रखने से पत्रावली दिनांक 30-9 को पेश हो।

17-11-21 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प कागुम सेवोरुपुरा में पेश हुई। अप्रार्थगव के सम्मन का बरामिल होकर प्राप्त हुए जिले शा.पठ किये गये। पत्रावली द्वारा निर्धारित पेश हुई जिले शा.पठ किया गया प्रार्थगव का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्धारित सूचक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के लाल सुमार होकर गठवर से कम हो।

डा. पूजा भक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 177/20 प्रा. पत्र

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

1-श्री भार्गवराज श/श्री पौबतर अर्जर निवासी - गा.कति कोलोनी शा.कटाडा (कौली) तहसील - भीलवाड़ा -- प्रार्थी

बनाम
1-श्री जगदीश चन्द्र श/श्री साहस्याराम शार निवासी - गा.डल नहसील - गा.डल (कौली) तहसील - भीलवाड़ा -- विपक्षीगण
(प्रकृतित प्रा. पत्र सलनग)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 17-11-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कौलीरवेडा पटवार हल्का सतोकपुरा तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 6576, 6577, 6578, 6579, 6592, 6594, 6595, 6596 कुल कित्ता 08 रकबा 09 बीघा हेक्टेयर 04 स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.10.20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कौलीरवेडा पटवार हल्का सतोकपुरा तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 6576, 6577, 6578, 6579, 6592, 6594, 6595, 6596 कुल कित्ता 08 रकबा 09 बीघा हेक्टेयर 04 स्थित भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक सीजा को 1000/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला - भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराये जाने पर पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
प्रशासन गाँवों के संग अभियान